विधानसभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
बुलेटिन भाग–II

(विधायी एवं अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

बुधवार, 02 मार्च 2022 / 11, फाल्गुन, 1943 (शक)

संख्याः 67

विषय : गौ कल्याण समिति के नियम एवं शर्तें

माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने गौ कल्याण समिति के निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों को अनुमोदित किया हैः–

1. गौ कल्याण हेतु एक समिति होगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गायों के कल्याण व उनकी देखभाल, डेयरी फार्मों तथा गौशालाओं से संबंधित मामलों पर सुझाव देगी।
2. समिति में नौ सदस्य होंगे जिनका नामांकन माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जाएगा।
3. समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा और नई समिति की नियुक्ति होने तक यह अस्तित्व में रहेगी।
4. समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

   i. दिल्ली में गायों के जीवन स्तर में सुधार हेतु उपयुक्त उपायों की संस्तुति करना।

   ii. आवारा गायों और मवेशियों के पुनर्वास हेतु उपायों की संस्तुति करना।

   iii. दिल्ली में दिल्ली नगर निगमों, व अन्य संस्थाओं तथा निजी गौशालाओं के प्रबंधन और उनकी कार्यप्रणाली को समझना और उनमें सुधार हेतु उपायों की संस्तुति करना।

   iv. भारत के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों में गौकल्याण हेतु अनुसरण की जाने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का अध्ययन करना तथा उन कार्यप्रणालियों की संस्तुति करना जो दिल्ली में अपनायी जा सकें।

   v. गौशालाओं व डेयरी फार्मों के प्रबंधन से संबंधित मानव शक्ति के कौशल को विकसित करने की संभावनाओं की खोज करना।

   vi. गायों के कल्याण हेतु उपयुक्त चारे, सार–सँभाल सुविधाओं और आश्रय, बीमारियों की निगरानी व टीकाकरण–प्रोटोकॉल तथा पशुचिकित्सा संबंधी देखभाल को सुनिश्चित करने के उपायों की संस्तुति करना।

   vii. मवेशियों के तथा उनकी देखभाल करने वाले व्यक्तियों / गौशालाओं के पंजीकरण की व्यवस्था हेतु उपायों की संस्तुति करना।

   viii. समिति अपनी कार्यपद्धति में उसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो सदन की अन्य समितियों के लिए प्रयोज्य है।

   ix. समिति उन सभी अधिकारों और प्रतिरक्षाओं का प्रयोग करेगी जो विधान सभा की वर्तमान समितियों को प्राप्त हैं।

राजकुमार
सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-II

(General information relating to legislative and other matters)

Wednesday, 02 March 2022 / 11, Phalgun, 1943 (*Shaka*)

No. 67

Sub: Terms of Reference of the Committee on Welfare of Cows.

Hon'ble Members are hereby informed that Hon'ble Speaker has approved the following Terms of Reference of the Committee on Welfare of Cows:-

1. There shall be a Committee on Welfare of Cows which shall suggest measures for Welfare of Cows and other matters related to care of Cows, Dairy Farms and Gaushalas in the National Capital Territory of Delhi.
2. The Committee shall have nine Members who shall be nominated by the Hon'ble Speaker.
3. The tenure of the Committee will be one year and shall hold office until a new Committee is appointed.
4. The functions of the Committee shall be: -

i. To recommend appropriate measures to improve the living conditions of Cows in Delhi.
ii. To recommend measures for rehabilitation of the stray cows and cattle.
iii. To study the functioning and management of Gaushalas and Dairy Farms in Delhi by the Municipal Corporations of Delhi and other Agencies or individuals and recommend measures to improve them.
iv. To study the best practices followed by various States in India and abroad for the welfare of cows and recommend such practices which can be adopted in Delhi
v. To explore the possibilities for developing manpower skills relating to management of Cow Shelters and Dairy Farms.
vi. To recommend measures to ensure proper feed, care, handling facilities and shelters, disease surveillance and vaccination protocols, veterinary care for welfare of Cows.
vii. To recommend mechanism for registration of cattle and the persons/cow-shelters taking care of cattle.
viii. In its functioning, the Committee shall follow the procedure as is applicable to the other Committees of the Assembly;
ix. The Committee shall exercise all powers and immunities available to the existing Committees of the Legislative Assembly.

Raj Kumar
Secretary